



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 870]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 26, 1989/पौष 5, 1911

No. 870]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 26, 1989/PAUSA 5, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1989

प्रा.सं. 1089(अ) :—राष्ट्रपति, संविधान के अनु-
च्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए, भारत सरकार (कार्य आबंधन) नियम, 1961
का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाने
हैं, अर्थात्—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार
(कार्य आबंधन) (दो सौ पांचवां संशोधन) नियम, 1989
है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आबंधन) नियम, 1961
में,—

(1) प्रथम अनुसूची में—

(क) “2. नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय”
शीर्षक और उसके अधीन उपशीर्षक के स्थान
पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—
“2. वायु विमानन मंत्रालय”

(ख) शीर्षक “28 वस्त्र मंत्रालय” शीर्षक के
पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—
“28क. पर्यटन मंत्रालय”

(2) द्वितीय अनुसूची में—

(क) “नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय” शीर्षक
और उसके अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न-
लिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—
“नागर विमानन मंत्रालय”

- वायुयान और विमान नीचालन; हवाई अड्डों की
व्यवस्था; हवाई यातायात और हवाई अड्डों का,
विमान नीचालन से संबंधित स्वच्छता व्यवस्था के
नियंत्रण के सिवाय विनियमन और संगठन।
- वायुयान की सुरक्षा के लिए नीचालन तथा अन्य
व्यवस्थाएं।
- वायुमार्ग में यात्रियों और माल का वहन।
- इंटरनेशनल सिविल एविएशन आर्गनाइजेशन (आई.
सी.ए.ओ.)।
- इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आई.ए.
ए.ए.)।

CABINET SECRETARIAT
NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 1989

S.O. 1069(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and fifth Amendment) Rules, 1989.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961:—

(1) In the First Schedule—

(a) for the heading “2. MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (NAGAR VIMANAN AUR PARAYATAN MANTRALAYA)” and the sub-headings thereunder the following shall be substituted, namely :—

“2. MINISTRY OF CIVIL AVIATION (NAGAR VIMANAN MANTRALAYA)”.

(b) after the heading “28. MINISTRY OF TEXTILES (VASTRA MANTRALAYA)”, the following shall be inserted, namely :—

“28A. MINISTRY OF TOURISM (PARYATAN MANTRALAYA)”

(2) In the Second Schedule.—

(a) for the heading “MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (NAGAR VIMANAN AUR PARYATAN MANTRALAYA)” and the entries thereunder, the following shall be substituted, namely :—

“MINISTRY OF CIVIL AVIATION (NAGAR VIMANAN MANTRALAYA)

1. Aircraft and air navigation; provision of aerodrome; regulation and organisation of air traffic and of aerodromes excepting sanitary control of air navigation.

2. Beacons and other provisions for the safety of aircraft.

3. Carriage of passengers and goods by air.

4. International Civil Aviation Organisation (ICAO).

5. International Air Transport Association (IATA).

6. Commonwealth Air Transport Council (CATC).

7. Commonwealth Advisory Aeronautical Research Council (CAARC).

8. Corporations established under the Air Corporation Act, 1953 (27 of 1953).

9. Hotel Corporation of India.

10. Chief Commissioner of Railway Safety.

6. कामनवेल्थ एयर ट्रांसपोर्ट काउंसिल (सी.ए.टी. सी.) ।
7. कामनवेल्थ एडवाइजरी एरोनाटिकल रिसर्च काउंसिल (सी.ए.ए.आर.सी.) ।
8. वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) के अधीन स्थापित निगम ।
9. भारतीय होटल निगम ।
10. मुख्य आयुक्त, रेल सुरक्षा ।
11. भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानन प्राधिकरण (भा. अ. वि. प्रा.) ।
12. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी की बाबत विधियों के विरुद्ध अपराध ।
13. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी के प्रयोजन के लिए जांच और आंकड़ें ।
14. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी के बारे में फीसें किन्तु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीसें नहीं आती हैं ।
15. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी से संबद्ध संघियों और करारों का कार्यान्वयन ।
16. भारतीय हेलीकाप्टर निगम ।
17. कृषि विमानन ।
18. नागर विमानन महानिदेशालय ।
19. राष्ट्रीय विमानन प्राधिकरण ।
20. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़न अकादमी ।
21. वायुदूत लिमिटेड ।
22. नागर विमानन सुरक्षा निदेशालय ।
23. वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) का प्रशासन ।
24. सिविल उपयोग के लिए वायुयान का उत्पादन ।
25. सिविल वायुयान के उपयोग के लिए तकनीकी अनुज्ञप्तियां/प्रमाणपत्र/अनुमोदन जारी करना ।

(ख) “वस्त्र मंत्रालय” शीर्षक और उसके अधीन प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“पर्यटन मंत्रालय

1. पर्यटन विकास ।

2. भारतीय पर्यटन विकास निगम और उसके अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के होटल या मोटल । इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी के प्रयोजन के लिए जांच और आंकड़ें ।

रामस्वामी चेंकटरामन, राष्ट्रपति
[फा. सं. 74/2/1/89-मंत्रि.]

बी. के. दास, संयुक्त सचिव

11. International Airports Authority of India (IAAI).
12. Offences against laws with respect to any of the matters specified in this list.
13. Inquiries and statistics for the purpose of any of the matters specified in this list.
14. Fees in respect of any of the matters specified in this list but not including fees taken in any court.
15. Implementation of treaties and agreements relating to any of the matters specified in this list.
16. Helicopter Corporation of India.
17. Agricultural Aviation.
18. Director General of Civil Aviation.
19. National Airports Authority.
20. Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi.
21. Vayudoot Limited.
22. Directorate of Civil Aviation Security.

23. Administration of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934).

24. Production of aircraft for civil use.

25. Issuing of technical licenses/certificates approval for use of civil aircraft."

(b) after the heading "MINISTRY OF TEXTILES (VASTRA MANTRALAYA)" and the entries thereunder, the following shall be inserted, namely :—

"MINISTRY OF TOURISM

(PARYATAN MANTRALAYA).

1. Development of Tourism.
2. India Tourism Development Corporation and public sector Hotels or Motels thereunder. Inquiries and Statistics for the purpose of any of the matters specified in this list."

R. VENKATARAMAN, President
[No. 742, 189-Cab.]

B. K. DAS, Lt. Secy.

